



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 293 राँची, सोमवार,

23 जून, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

28 मई, 2025

संख्या-3/आरोप-11-31/2025 का.-30804 (HRMS)--भ०नि०ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-30/वि०को०, दिनांक- 22.05.2025 के द्वारा भ०नि०ब्यूरो, राँची थाना कांड संख्या-09/2025, दिनांक-20.05.2025 में प्राथमिकी अभियुक्त श्री सुधीर कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-714/24), तत्कालीन महाप्रबंधक, संचालन-सह-वित्त, झारखण्ड राज्य विबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL), राँची को दिनांक-21.05.2025 को गिरफ्तार कर बिरसा मुण्डा, केन्द्रीय कारा, होटवार में न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजने की सूचना दी गयी है ।

2. अतः श्री सुधीर कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-714/24), तत्कालीन महाप्रबंधक, संचालन-सह-वित्त, झारखण्ड राज्य विबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL), राँची को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 9(2)(क) के तहत दिनांक-21.05.2025 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है ।

3. श्री सुधीर कुमार को निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के अनुरूप उसी स्थापना द्वारा किया जाएगा, जहाँ श्री सुधीर कुमार कारावास में जाते समय पदस्थापित थे ।

4. हिरासत से मुक्त होने के बाद श्री सुधीर कुमार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान करेंगे।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	SUDHIR KUMAR (BHR/BAS/3301)	श्री सुधीर कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-714/24), तत्कालीन महाप्रबंधक, संचालन-सह-वित्त, झारखण्ड राज्य विबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JSBCL), राँची को झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत दिनांक- 21.05.2025 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।	21/05/2025

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: PTS/VET/646
